

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :- एफ.3 (ख)(आर-55/90) / अलेसे-II/

64

दिनांक:- 6/4/2

कार्यालय आदेश

पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 417-21 दिनांक 30.03.2016 से अवगत करवाया है कि कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अजमेर में कार्यरत श्री नागरमल शर्मा, स.ले.अ.ग्रेड-II को 10000/- रुपये की रिश्त मांगकर प्राप्त करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर द्वारा दिनांक 28.03.2016 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर इनके विरुद्ध अपराध संख्या 56/2016 दर्ज कर पंजीबद्ध किया गया है।

अतः श्री नागरमल शर्मा, स.ले.अ.ग्रेड-II को गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 28.03.2016 से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में श्री शर्मा का मुख्यालय कोषालय, पाली किया जाता है। श्री शर्मा को निलंबन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3 (ख)(आर-55/90) / अलेसे-II/

64

दिनांक:- 6/4/2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 417-21 दिनांक 31.03.2016 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्री नागरमल शर्मा के विरुद्ध प्रकरण में की गई कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावें।
- 2 कोषाधिकारी, अजमेर/पाली।
- 3 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 4 श्री नागरमल शर्मा, स.ले.अ.ग्रेड-II, कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अजमेर।
- 5 कम्प्यूटर विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
- 6 निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)